न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 139/2020

1– श्री मिश्रीलाल पुत्र स्व0 श्री बरदा जी
2– श्री प्रभूलाल पुत्र स्व0 श्री रतना जी
3– श्री छोगा पुत्र स्व0 श्री देवा जी
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम माता जी का खेंडा कुण्ड का लाम्बा तहसील मसूदा जिला अजमेर। ——— प्रार्थीगण

ब ना म

1– राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मसूदा।
2– देवली पत्नि गोपीलाल
3– सोनू पुत्री गोपीलाल
4– कालूराम पुत्र गोपीलाल
5– पुखराज पुत्र गोपीलाल
6– पुष्पा पुत्री गोपीलाल
7– मीरा पुत्र गोपीलाल
8– मिश्रीलाल पुत्र तेजू
9– सांवरलाल पुत्र तेजू
10–हीरालाल पुत्र तेजू
11–नाथूलाल पुत्र तेजू
12 –भंवरलाल पुत्र लादू
13– हेमराज पुत्र लादू
14– जमना पुत्र सुखा
15– सत्यनारायण पुत्र सुखा
16– आशा पुत्री पुखराज
17– सत्यनारायण पुत्र पुखराज
18– लाडू पत्नि पुखराज
19– कमला पुत्री काना
20– जीवराज पुत्र काना
समस्त जाति जाट निवासी माता जी का खेंडा कुण्ड का लाम्बा तहसील मसूदा जिला अजमेर।
——— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एव 132 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 06.11.2020

संक्षिप्तः प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, कि प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारो की शामलाती भूमि वाके मौजा ग्राम लाम्बा तहसील मसूदा जिला–अजमेर में आराजी खसरा नंबर [illegible] है, उक्त खसरे पर हम प्रार्थीगण का कब्जा काश्त बिना किसी बाधा के [illegible] आ रहा है। उक्त वर्णित आराजी के लिये आने जाने का [illegible] 60 साल [illegible] कदीमी रास्ता जो आराजी खसरा नंबर 379, 392, 361, 416, [illegible] में से होकर [illegible] आ रहा है जिसे राजस्व नक्शा सन् 1970–1971 [illegible] में भी इन्द्राज किया [illegible] है। उक्त रास्ता आम सडक आराजी खसरा नंबर 421, 422 में जाकर मिलता है, सडक के पास ही प्रार्थीगण की भूमि स्थित है। प्रार्थीगण के पडौसी खातेदारो ने प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में चले आ रहे सालो पुराने तरमीमशुदा रिकार्डेड रास्ते वाली भूमि को अपनी

.............लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.01.14 16:13:31 IST
Reason: SelfAttested

(मोहनलाल खटनावलिया)

आराजी में मिलाने की बदनियत से चले आ रहे है। और जबरदस्ती प्रवेश करने पर आमादा है। प्रार्थीगण द्धारा एक प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था जिसको क्रमांक 20/8893 दिनांक 17.7.2020 को तहसीलदार मसूदा जी को भेजकर आदेश दिया कि मौके की रिपोर्ट मंगवायी जाकर अवरूद्ध रास्ते को खुलवाया जावे। जिस हल्का पटवारी ने गैरसायलान को रास्तो खोलने के लिये कहां किन्तु रास्ता खोलने से इन्कार कर दिया। तथा हल्का पटवारी ने प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक कदीमी डोटेड रास्ता होना ताईद किया गया है। वर्तमान में प्रार्थीगण का रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो रखा है, मगर सहवन से उक्त रास्ते में नये नंबर दर्ज होने से रह गये। इसलिये अप्रार्थीगण इस बात का बैजा फायदा उठाकर हम प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक चले आ रहे सालो पुराने पुश्तैनी रास्ते वाली भूमि को जबरन अपनी भूमि में मिलाने की बदनियती से कांटो की बाड लगाकर अवरूद्ध कर दिया है जो विधि विरूद्ध है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है, कि प्रार्थीगण की भूमियो तक चले आ रहे 60 साल पुराने डोटेड नूमा कदीमी रास्ता को स्थाई रूप से राजस्व नक्शे में तरमीम कर नये बंटा नंबर अंकित करने व रास्ते वाली भूमि को गै0मु0रास्ता अंकित कराने का आदेश पारीत किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को नकारते हुये कथन किया है, कि प्रार्थीगण ने जिस रास्ते का उल्लेख किया गया है, वह रास्ता रेकार्ड में दर्ज नही है, एंव ना ही वर्तमान नक्शा में दर्ज है। तहसीलदार महोदय मसूदा की रिपोर्ट में जिस रास्ते बाबत पुराने नक्शे के आधार पर वर्णित किया गया है, उस जगह पर अप्रार्थीगण की रेकार्डेड खातेदार काश्तकारी की भूमि स्थित है। प्रार्थीगण के खेत मुख्य डामर सडक के दूसरी तरफ स्थित है, जिस पर आने जाने हेतू प्रार्थीगण के पास रेकार्डेड रास्ता मौजुद है। इसलिये अन्य रास्ते की मांग किया जाना विधि विरूद्ध है। उक्त रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी खेतो में से होकर निकलेगा जिसके लिये विधि अनुसार ही जमीन अवाप्त करके विधि अनुसार कार्यवाही करके ही नया रास्ता कायम किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति की खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम किये जाने के लिये उक्त वर्णित धाराओ में प्रावधान नही है। रास्ते बाबत विधि अनुसार प्रक्रिया अपनायी जाना आवश्यक है, प्रशासनिक एंव बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम किया जाना विधि विरूद्ध है। तहसील महोदय ने जिस रास्ते को रेकार्डेड रास्ता दर्ज करने बाबत प्रस्ताव तैयार किया है, उसमें उस रास्ते की लम्बाई चौडाई का कही भी उल्लेख नही किया तथा रास्ता किस बाबत उपयोग किया जावेगा यह भी नही बताया गया है, अप्रार्थीगण की कितनी जमीन का नुकसान होगा यह भी नही बताया गया है, अतः उक्त रिपोर्ट भी स्पष्ट नही होकर गोलमाल एंव विधि विरूद्ध है। तथा माननीय न्यायालय को उक्त प्रकरण सुनवाई का अधिकार नही है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है, कि विधि के प्रावधानो के अनुसार ही प्रकिया अपनाकर उक्त प्रकरण में कार्यवाही की जावे एंव प्रस्तुत प्रकरण विशेष हर्जा व खर्चा के साथ खारीज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.01.14 16:13:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में तहसीलदार मसूदा ने अपने पत्र क्रमांक:राजस्व/2020/564 दिनांक 2.9.2020 के द्धारा मय दस्तावेज रिपोर्ट पेश कर कथन किया है, कि राजस्व नक्शा शीट ग्राम लाम्बा संवत 2028 के अनुसार खसरा नंबर 412, 361, 416, 417, 418 में डोटेड लाईन के रूप में रास्तेनुमा दर्ज है, जो कि मोके पर रास्ता है, जिसे अप्रार्थीगण

.... लगातार

(मोहनलाल खटनावलिया)

राजस्व प्राथना पत्र संख्या 139 सन् 2020

श्री मिश्रीलाल बनाम राजस्थान सरकार वगैरह

द्वारा खाई खोदकर कांटा डालकर अवरूद्ध कर रखा है। उक्त रास्ता माता जी का खेडा के आबादी खसरा नंबर 379 से शुरू होकर सरकारी भूमि खसरा नबर 2458/392 खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 412, 361, 416, 417 व सिवायचक भूमि खसरा नंबर 418 मे से होते हुये रिकार्डेड रास्ता खसरा नंबर 2470/422 तक जाता है। तथा तहसीलदार मसूदा के प्रस्ताव में ग्राम लाम्बा के खसरा नंबर 2458/392 रकबा 0.6310 हैक्टयर, 412 रकबा 1.0436 हेक्टयर, 361 रकबा 1.0355, 416 रकबा 2.7102, 417 रकबा 0.5825 हेक्टयर, 418 रकबा 0.2427 हेक्टयर, जिसकी लम्बाई चौडाई खसरा नंबर 2458/392 में 360एम2, 412 में 540एम2, 361 में 840एम2, 416 में 1200एम2, 417 में 264एम2, 418 में 2427 एम2 को प्रस्तावित रास्ता की भूमि को धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज करने की अनुशंषा की है।

प्रकरण में प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने का निवेदन किया गया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात पेश किये गये है, जिसमें नक्शा सन् 1970–71 संवत 2028 में डोटेड लाईन द्वारा रास्ता अंकित होना पाया। एंव तहसीलदार मसूदा ने जो रिपोर्ट व प्रस्ताव पेश किया गया है, उसके अनुसार भी विवादित रास्ता मौके पर होना पाया गया है। जबकि अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। तथा जो अपने जवाब प्रार्थना पत्र में आपत्तियां उठाई गई है, उसमें विषय में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में ही आपत्तियो को खारीज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजी साक्ष्य व तहसीलदार मसूदा रिपोर्ट व प्रस्ताव के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा लाम्बा के खसरा नंबर 2458/392 रकबा 0.6310 हैक्टयर, 412 रकबा 1.0436 हेक्टयर, 361 रकबा 1.0355, 416 रकबा 2.7102, 417 रकबा 0.5825 हेक्टयर, 418 रकबा 0.2427 हेक्टयर, उसमें से लम्बाई चौडाई खसरा नंबर 2458/392 में 360एम2, 412 में 540एम2, 361 में 840एम2, 416 में 1200एम2, 417 में 264एम2, 418 में 2427 एम2 को गै0मु0रास्ता तथा निजी खातेदारी की भूमि में सें चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शे में व पृथक से खसरा नम्बर दिया जाकर रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजस्व नक्शा में तरमीम किया जाकर बट[illegible] दर्ज किये जाने के आदेश पारीत किये जाते है। यथानुसार तहसीलद[illegible] करे।

आदेश आज दिनांक 06.11.2020 को खु[illegible]यालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.01.14 16:13:31 IST
Reason: SelfAttested

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

उपखण्ड अधि0 एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर)